



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

बहादराबाद, हरिद्वार—दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,

HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY

पो०—बहादराबाद (हरिद्वार) 249402

P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402

E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक १९ / प्रशासन/2021

दिनांक 16 अप्रैल, 2021

कार्यालय इाप

शासन के पत्र संख्या-353/XXXI(15)G/2020-04(S10)/2021, रामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून, दिनांक 14 अप्रैल, 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में साक्षाती बरतने के संबंध में बचाव हेतु कार्यवाही/साक्षाती का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने हेतु आदेश प्राप्त हुए हैं।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि कोरोना वायरस से बचाव के सदर्भ में शासन से प्राप्त पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, ना. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य वित्त अधिकारी।
3. उपकुलसचिव।
4. विभागाध्यक्ष/प्रभागी विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्री, हिन्दी एवं भाषा विज्ञान, साहित्य, व्याकरण, योग, ज्योतिष, वेद, पत्रकारिता विभाग।
5. समस्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कार्मिकों के अनुपालनार्थ।
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट।
7. सूचना पह।
8. कार्यालय प्रति।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रेषकः

औम प्रकाश,
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

शोध में

1. समस्त अपर गुरुद्वय सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रभुरुद्वय सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पण्डितगुरुज, गढवाल एवं कुमार्जे।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिल्हाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त बिभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन क्षिप्राग

देहरादून दिनांक 14 अप्रैल, 2021

विषय— प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में साक्षात्कारी बरतने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदयः

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—239 / xxxi(15)G—04(m) / 2020 दिनांक 02 मई, 2020 एवं शासनादेश संख्या—363 / xxxi(15)G—04(m) / 2020 दिनांक 13 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश संख्या—520 / xxxi(15)G—04(m) / 2020 दिनांक 02 सितम्बर, 2020 को द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त के कम में वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में साक्षात्कारी बरतने के सम्बन्ध में बधाय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही/साक्षात्कारी का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे—

Disinfection and Sanitization :

1. कार्यालयों को साफ-सुधरा रखने हेतु कीटाणु नाशक रसायन जैसे sodium hypochlorite or chloroxylenol or parachlorometaxylenol (PCMX) का प्रयोग प्रयेश द्वारा, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीदियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्शियों/मेजों, पूछलाल/कैश काउण्टर्स, दीवारों/सलहों, लिफ्ट, सभागारों, बराबरी, कैन्टीन्स, शीघ्रालयों, बाटर पॉइंट्स आदि में सफाह में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से किया जाये।
2. प्रत्येक दिन कम से कम दो बार कीटाणु नाशक रसायन द्वारा कार्यालयों के फर्श, गलियारे, शीघ्रालयों, सिंक, बाटर पॉइंट आदि को सेनेटाइज किया जाये।
3. पानी के टैंकों को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाये। टैंक में रुके हुए पानी को निकालकर स्वच्छ एवं ताजा पानी भरा जाये।
4. कार्यालयों के सभी बाटर फिल्टर्स की सर्विस अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा धीने के पानी की शुद्धता की जीव भी करवायी जाये।
5. सभी कार्यालयों के प्रयेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाइजर/हैण्ड बीश की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यालय से प्रयेश से पूर्ण हाथों को अनिवार्य रूप से सेनेटाइज किया जाये। शीघ्रालयों में लिकियत सौप, टिश्यू, पेपसी एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

क्रमांकः

2 /

6. कार्यालयों में ताजी हवा एवं सुलगावातावरण रखा जाये तथा एयर कंडीशनर व पर्सों की साफ-सफाई तथा लिफ्ट में लगे पर्खों की भी साफ-सफाई का रख-रखाव किया जाये। किसी भी प्रकार की Air Conditioning का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाये तथा निरानन्द अपरिहार्य परिस्थिति में इस विषय पर भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही किया जाए।

Social Distancing :

7. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों के खुलने/बन्द होने तथा मध्यान्ह खोजन का समय staggerer करने पर विचार करेंगे ताकि परिसर के अन्दर अधिक बाहर भीड़ न हो।
8. प्रत्येक परिसर/कार्यालय, बैटिंग रूम, विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। भीड़-भाड़ बिल्कुल न की जाये व बैठने के लिए दो कुर्सियों के बीच की दूरी कम से कम 6 फिट होनी चाहिए।
9. यथा समय सीक्रियों का उपयोग किया जाये लिफ्ट का प्रयोग करने की दशा में (लिफ्ट के साइज के अनुसार) 2 या 4 व्यक्तियों से अधिक एक बार में उपयोग न किया जाये।

Screening and Monitoring :

10. कार्यालयों में मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कॉनिंग के लिए पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
11. कार्यालयों में अनावश्यक आगंतुकों का प्रवेश पूर्णतः बर्जित रहेगा।
12. कार्यालयों में कार्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पहचान पत्र उपने साथ रखना अनिवार्य रहेगा तथा कार्यालय में प्रवेश के समय सुखाकर्मियों को चीकिंग के समय पहचान पत्र दिखाया जायेगा।

Prevention and Awareness :

13. प्रत्येक कार्मिक को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वेच्छा संतुष्ट होना चाहिए तथा उसे यह भी देखना होगा कि उसको परिवार के किसी सदस्य अधिकारी आस-पहोंच एवं प्रियजन कोविड-19 से ग्रसित तो नहीं है एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा उसको बचारटाइन में रखने हेतु तो नहीं कहा गया है।
14. कार्यालय परिसरों में गुटका, पान, तम्कू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन एवं थूकना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
15. गारक/फेस कवर का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाए।
16. कार्यालयों/कार्यालय परिसरों/कैण्टीन्स/किचन आदि में डस्टबिन को ढक कर रखा जाए एवं कुड़ा करकट डस्टबिन में ही ढाला जाए। कैण्टीनों द्वारा Covid-19 के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
17. कार्यालयों के दरवाजों को खुला रखा जाये, ताकि दरवाजों को बार-बार छूना न पड़े।
18. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विशेषतः पानी की बोतल, चाय मग अपने घर से ही लाया जाए।
19. कैण्टीन द्वारा चाय/कॉफी/पानी आदि के लिए डिस्पोजल कप का ही इस्तेमाल किया जाए।

20. कार्यालयी / सभागारी में बैठकों का समारोह इत्यादि का आयोजन न किया जाए। सभ्य ही सके तो बैठकों के लिए वीडियो कॉर्सेसिंग का ही उपयोग किया जाए।
21. खांसी, जुकाम, सास लेने वे ताकलीफ के लक्षण यादे अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय में न बुलाया जाए तथा उसे अनुमत्य अवकाश स्थीकृत किया जाए। ऐसे कर्मचारियों के द्वारा अपनी श्रीमारी की रुचना अनियावृत रूप से अवैन उच्च अधिकारियों को ही जाए और विकितसक्तीय परामर्श के पश्चात ही किसी दवाई का सेवन किया जाए।
22. कार्यालयी में कर्मचारी अभियादन/शिष्टाचार में हाथ न छिलायें व अन्य वैर सम्पर्क तरीकों का ही उपयोग करें।
23. खांसते अव्यता भीकरते सभ्य अपने मुँह एवं नाड़ को स्वामाल से ढकें।
24. कार्यालय में खुले एवं अनुरक्षित व बाहर से भगाये छाता पदार्थों का सेवन बिल्कुल न किया जाए।
25. AROGYA SETU App का इस्तेमाल सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य होगा।

General Guidelines for Movement within office Premises :

- (i) सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 6 फिट अवधि रखी जाए।
- (ii) युप में न घूमें तथा भोजन, खाय आदि के लिए सामान्य जगह को ही साझा करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें।
- (iii) पानी के नल अदृष्टि को इस्तेमाल के पहले एवं पश्चात् शाफ करें।
- (iv) बाहर से भगाया भोजन प्रतिबंधित करें।

उपरोक्त के अलिङ्गित सभ्य-सभ्य पर लिखितसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं यूएस०टी०एम०ए० विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनियावृत रूप से सुनिश्चित किया जाए।

भद्रीय

(ओम-प्रकाश)
मुख्य सचिव

संख्या— /xxxii(15)G/21-04(सा०) / 2020 तददिनांक।



प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, किरान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (भविष्यत) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा० वित्तगण, उत्तराखण्ड को मा० वित्तगण महोदय के संझानार्थ।
6. स्टाफ अफियर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्बन्ध विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. राज्य सरकार की बैबलाइट पर अप्लोड हेतु।
9. गार्ड फाईल।

/(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव